



जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651227 (का) फेक्स नं० 2651313

क्रमांक- प्रनि/जोविनिनि/अनु-मु.अ./सीपीएम/अ.अ./पत्रा०वाणिज्य/प्रे०सं० 1042 जोधपुर,दिनांक. 19-8-04

आदेश

राज्य में भयंकर अकाल एवं सूखे की स्थिति को देखते हुये पूर्व में राज्य सरकार ने सामान्य कृषि श्रेणी मीटर्ड सप्लाय उपभोक्ताओं (टेरिफ कोड 4000) तथा विशेष श्रेणी वाले उपभोक्ताओं (टेरिफ कोड-4200 एवं 4400) को रियायत प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया था कि ऐसे उपभोक्ताओं से वास्तविक विद्युत उपभोग के आधार पर ही बिल वसूल किये जाये तथा मिनिमम बिलिंग तथा वास्तविक विद्युत उपभोग की राशि के अन्तर की राशि का पुर्नभरण राज्य सरकार द्वारा वितरण निगमों को किया जाये। तदनुसार जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने अपने आदेश वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम/140 दिनांक 24.10.2002 से सामान्य कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाय उपभोक्ताओं (टेरिफ कोड-4000) को बिलिंग माह नवम्बर 2002 से वास्तविक उपभोग के आधार पर बिलिंग करने के आदेश प्रदान किये थे एवं इसी प्रकार कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाय के विशेष श्रेणी वाले उपभोक्ता (टेरिफ कोड-4200 एवं 4400) के लिये आदेश क्रमांक वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम/153 दिनांक 18.2.2003 से बिलिंग माह मार्च 03 से वास्तविक उपभोग के आधार पर बिलिंग करने के आदेश प्रदान किये थे।

अब यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 से मिनिमम चार्ज उपभोक्ता द्वारा ही देय होंगे। अतः तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार उक्त श्रेणीयों में मिनिमम चार्ज के बिल जारी किये जाएं।

(Handwritten Signature)
19.8.04

[आर.एस.चौधरी]

मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है:-

- ❖ सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
- ❖ प्रबन्ध निदेश, जयपुर/अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर/अजमेर।
- ❖ सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ वित्तीय सलाहकार एवं लेख नियन्त्रक जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ संभागीय मुख्य अभियन्ता (जे.जेन./बी.जेन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- ❖ मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि एवं संधा./पी.पी.एण्ड एम./पदार्थ प्रबन्ध/वाणिज्य/एमएण्डपी/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/बाडमेर/बीकानेर/जैमलमेर/चुरू/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़
- ❖ अधीक्षण अभियन्ता (S&I) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
- ❖ वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवं संधा./एम.एम./अंकेक्षण/सीपीसी एण्ड रोकड), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- ❖ कम्पनी सचिव जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ अधिशाषी अभियन्ता (पवस/विधि/सतर्कता/अंकेक्षण) जोविनिनि।
(आप के अधिनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियन्ताओं तथा कानिष्ठ अभियन्ता की अतिरिक्त प्रतिलिपी संलग्न है।)
- ❖ प्राव.सहा. प्रबन्ध निदेशक जोधपुर डिस्कॉम/जयपुर डिस्कॉम/अजमेर डिस्कॉम जोधपुर/जयपुर/अजमेर।
- ❖ निजी सचिव, राजनीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- ❖ अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
(आप के अधिनस्थ जोधपुर अधिकारियों को भेजने हेतु अतिरिक्त प्रतिलिपी संलग्न है।)
- ❖ प्राव.सहा. मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
- ❖ जनसम्पर्क अधिकारी जोविनिनि, जोधपुर।

(Handwritten Signature)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।